आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
10/7/2014	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील संख्या 59/2011** **राज कुमारी देवी बनाम राज्य एवं अन्य** **आदेश** संदर्भित अपील आवेदन माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC सं0 5603/14 राज कुमारी देवी बनाम राज्य एवं अन्य में दिनांक 24.6.2014 को पारित आदेश से संबंधित है। उक्त रिट याचिका अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर के आदेश ज्ञापांक 341/आपूर्ति दिनांक 29.4.11 के विरूद्व वाद दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गई। वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि सत्येन्द्र कुमार एवं अन्य 82 उपभोक्ताओं ग्राम पंचायत हराजी प्रखंड दिघवारा द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों की जॉच अचलाधिकारी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, दिघवारा द्वारा संयुक्त रूप से श्रीमती राज कुमारी देवी, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, ग्राम पंचायत हराजी, प्रखंड दिघवारा की दुकान की जॉच करायी गयी। उन्होंने अपने पत्रांक- 247/आ0 दिनांक 13.12.2010 के द्वारा प्रतिवेदित किया कि जॉच दिनांक 10.12.2010 को 12.50 बजे की गयी। जॉच के समय सूचनापट्ट टंगा हुआ था, परन्तु सूचना प्रदर्शन पट्ट पर भंडार की अद्यतन स्थिति एवं अन्य सूचना अंकित नहीं पाई गयी थी। जॉच के क्रम में, विक्रेता अपने पति के साथ उपस्थित थी, लेकिन भंडार से संबंधित कागजातों की मॉग किए जाने पर विक्रेता के द्वारा उपस्थापित नहीं किया गया। जॉच के क्रम में, विक्रेता के साथ सम्बद्व उपभोक्ताओं के द्वारा बताया गया कि किरासन तेल का वितरण ढाई लीटर प्रति कूपन की दर से किया जाता है एवं अन्त्योदय खाद्यान्न का वितरण निर्धारित मात्रा से कम एवं निर्धारित दर से अधिक कीमत लेकर उपभोक्ताओं के बीच दिया जाता था। उक्त अनियमितता के आलोक में विक्रेता से स्पष्टीकरण की मॉग की गयी थी। विक्रेता	

के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के संदर्भ में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सोनपुर से मंतव्य की मॉग की गयी थी। उनके मंतव्य के आलोक में विकेता की अनुज्ञप्ति को निलम्बित करते हुए द्वितीय स्पष्टीकरण की मॉग की गयी। विकेता के द्वारा समर्पित द्वितीय स्पष्टीकरण पर पुनः प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सोनपुर से मंतव्य की मॉग की गयी। विकेता से प्राप्त द्वितीय स्पष्टीकरण तथ्यहीन एवं असंतोषप्रद मानते हुए इनके स्पष्टीकरण को अस्वीकृत कर दिया गया।

अंचलाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, दिघवारा के द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सोनपुर के द्वारा दिए गए मंतव्य के आलोक में विकेता के द्वारा समर्पित द्वितीय स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए विकेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया।

अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर के ज्ञापांक 1065/आपूर्ति दिनांक 31.12.10 के द्वारा निर्गत स्पष्टीकरण अपने आप में त्रुटिपूर्ण एवं अस्पष्ट है। इसमें जॉच की तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है। दिनांक 10.12.10 तक अपीलार्थी अपने घर पर मौजूद था, जिसमें उनका दुकान भी खुला था। चूँकि उस तिथि में भंडार शून्य था, इसलिए उस तिथि का कैशमेमो साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना संभव नहीं है। अपीलार्थी अपनी बहन की शादी में दिनांक 11.12.2010 से 16.12.2010 तक सम्मिलित होने हेतु हाजीपुर गई हुई थी। इसकी विधिवत् सूचना उनके द्वारा डाक से अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, दिघवारा को प्रेषित किया गया है। उक्त अवधि में अनुपस्थिति की सूचना उनकी दुकान के सूचनापट्ट पर भी विधिवत् अंकित किया गया था। दिनांक 12.12.10 एवं 13.12.10 को आयोजित होने वाले वैवाहिक कार्यक्रम से संबंधित कार्ड की प्रति भी अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ऐसी परिस्थिति में उक्त अवधि में अपीलार्थी के उपस्थित रहने का प्रश्न ही नहीं उठता है, जबकि आरोप लगाया गया है कि जॉच की तिथि को (जिसका उल्लेख पूछे गए स्पष्टीकरण में नहीं है) अपीलार्थी अपने पति के साथ उपस्थित थी तथा आवश्यक कागजात नहीं दिखाई गयी, जो गलत एवं मनगढ़त है। यह भी बतलाया गया कि अपीलार्थी के द्वारा निगरानी समिति के सदस्यों की देख–रेख में उपभोक्ताओं से कूपन प्राप्त कर कूपन पर अंकित मात्रा 3 लीटर 12.80 प्रति लीटर की दर से दिया जाता था। यह भी बतलाया गया कि गेहूँ 14 किलो दो रूपये की दर से एवं चावल 21 किलो तीन रूपये की दर से दिया जाता था। इस तरह अपीलार्थी के

द्वारा निर्धारित मात्रा से कम एवं निर्धारित दर से अधिक कीमत लेकर उपभोक्ताओं के बीच दिया जाता था, जो गलत है। अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश में कहीं भी यह अंकित नहीं है कि अपीलार्थी के विरूद्व किन उपभोक्ताओं के द्वारा शिकायत की गयी। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने न्यायिक विवेक का उपयोग न करके अंचलाधिकारी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति को रद्द करने का आदेश पारित किया गया है। यह भी बतलाया गया कि अपीलार्थी से संबद्व कई उपभोक्ताओं के द्वारा अपीलार्थी से किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं होने का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। यह भी बतलाया गया कि राजनीति से प्रेरित होने के कारण उक्त आरोप लगाया गया है। विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति को बहाल करने हेतु अनुरोध किया गया।

सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बतलाया गया कि विकेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लंघन का परिचायक है।

उभय पक्षों को सुनने तथा अभिलेख के परिसीलन से मैं पाता हूँ कि अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर के ज्ञापांक 1065/आपूर्ति दिनांक 31.12.10 के द्वारा निर्गत स्पष्टीकरण अपने आप में त्रुटिपूर्ण एवं अस्पष्ट है। इसमें जॉच की तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है। अपीलार्थी अपनी बहन की शादी में दिनांक 11.12.2010 से 16.12.2010 तक सम्मिलित होने हेतु हाजीपुर गई हुई थी। इसकी विधिवत् सूचना उनके द्वारा डाक से अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, दिघवारा को प्रेषित किया गया है। उक्त अवधि में अनुपस्थिति की सूचना उनकी दुकान के सूचनापट्ट पर भी विधिवत् अंकित किया गया था। दिनांक 12.12.10 एवं 13.12.10 को आयोजित होने वाले वैवाहिक कार्यक्रम से संबंधित कार्ड की प्रति भी अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ऐसी परिस्थिति में उक्त अवधि में अपीलार्थी के उपस्थित न होना स्वाभाविक है, जबकि पूछे गए स्पष्टीकरण में अंकित किया गया है कि जॉच की तिथि को (जिसका उल्लेख पूछे गए स्पष्टीकरण में नहीं है) अपीलार्थी अपने पति के साथ उपस्थित थी तथा उनके द्वारा आवश्यक कागजात नहीं दिखाया गया। स्पष्टीकरण में लगाया गया यह आरोप प्रमाणित नहीं होता है। अपीलार्थी के विरूद्व निर्धारित मात्रा से कम एवं निर्धारित दर से अधिक कीमत लेकर उपभोक्ताओं के बीच खाद्यान्न एवं किरासन तेल का वितरण करने का आरोप स्पष्टीकरण में अंकित किया गया है, जबकि अपीलार्थी की दुकान से सम्बद्व दर्जनों उपभोक्ताओं के द्वारा उनके वितरण

व्यवस्था से किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं होने का शपथ पत्र दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश में कहीं भी यह अंकित नहीं है कि अपीलार्थी के विरूद्व किन उपभोक्ताओं के द्वारा शिकायत की गयी। इस तरह अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर के आदेश ज्ञापांक 341/आपूर्ति दिनांक 29.4.11 को त्रुटिपूर्ण एवं अस्पष्ट पाते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापांक 845 दिनांक 26/7/2014

प्रतिलिपि – अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। (मूल LCR संलग्न)

प्रतिलिपि – NIC पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।